उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: df@upcl.org, Website: www.upcl.org

No. 4393 /UPCL/RM/B-20 Dated: 12/13 -12-2018

BEFORE THE UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

INDEX

IN THE MATTER OF : APPLICATION SEEKING APPROVAL OF BUSINESS PLAN OF THE PETITIONER COMPANY FOR THE CONTROL PERIOD OF THREE FINANCIAL YEARS FROM FY 2019-20 TO FY 2021-22.

AND

IN THE MATTER OF : UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED.

...........Petitioner

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply	1-8
2.	Affidavit verifying the accompanying petition	9-10
3.	Annexure - 1	In Soft Copy
4.	Annexure – 2	11-23

1378
13/12/18

(D. M. Verma)
Director (Finance)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91—135—2768895 फैक्स: 91—135—2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

BEFORE THE UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

IN THE MATTER OF: APPLICATION SEEKING APPROVAL OF BUSINESS PLAN OF THE PETITIONER COMPANY FOR THE CONTROL PERIOD OF THREE FINANCIAL YEARS FROM FY 2019-20 TO FY 2021-22.

AND

IN THE MATTER OF: UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED.

………..Petitioner

This is with reference to Hon'ble Commission's letter no. UERC/6/TF-504/2018-19/2018/1233, dated 06-12-2018 vide which the petitioner has been asked to submit the reply to the deficiencies/ shortcomings observed by the Hon'ble Commission in the Business Plan Petition. The petitioner is directed to submit the reply on the affidavit latest by 12-12-2018. The point wise reply/ information is mentioned herein below and the petitioner most respectfully showeth as follows in the matter:

Preliminary information required for admission of Petition

1. **It is observed that various forms of Distribution Formats submitted by UPCL are not interlinked within the forms, instead the figures are linked to external files. UPCL should submit the revised format after inter-linking the same within various forms of the Formats.**

   Reply:

   The revised formats have been attached in **Annexure-1** (soft copy) and **Annexure-2** (hard copy) in response to Point no. 2 of the queries raised for the MYT Petition vide UERC letter dated 6.12.2018.

2. **In Table No. 6 of the Petition, the energy sales to RTS-5 consumers (Private Tube wells / Pumping Sets) is decreasing, however, UPCL has projected the sales to this category of consumers at 3 year CAGR of 3.1%. Further, in lieu of the decreasing sales, the Petitioner has proposed to incur capital expenditure of Rs.105.90 Crore for providing 3500 new connections Private Tube wells / Pumping Sets. In this regard the Petitioner is required to submit the basis of considering the requirement of 3500 new connections.**

   Reply:

   It is submitted that the category for Private Tube wells / Pumping set is RTS-4. The Petitioner has been installing meters for RTS-4 consumers and has achieved 100% metering for RTS-4 consumers during FY 2017-18. The number of consumers in this category has been steadily increasing at a CAGR of 5.1% over last five years and expected to continue to grow at similar rate. Accordingly, the Petitioner has considered a growth of 3.1% in the sales to this category of consumer.

   Further, it is submitted that during FY 2015-16 to FY 2017-18,the Petitioner has provided 5208 new connections under this category and considering the

additions in the past, a reasonable estimate of 3500 new connections has been considered for the Third Control Period.

3. **UPCL in Table No. 11 of the Petition has projected the distribution loss for FY 2020-21 as 13.42% whereas at all other places it has submitted distribution loss for FY 2020-21 as 14.42%. UPCL should reconcile the same and maintain consistency at all places.**

Reply:

The Petitioner submits that there was an inadvertent error in the entry against distribution losses proposed for FY 2020-21in Table 11 of the Business Plan. The Petitioner maintains that the distribution losses proposed by it for FY 2020-21 is 14.42% which has been considered for MYT projections and requests the Commission to approve the same as shown in the revised Table 11 below:

Proposed Distribution Loss for 3rd Control Period

Particulars	FY 2017-18 (Actual)	FY 2018-19 (Estimated)	FY 2019-20 (Projected)	FY 2020-21 (Projected)	FY 2021-22 (Projected)
Distribution Losses	15.17%	14.92%	14.67%	14.42%	14.17%

4. **As per Regulation 8(1)(c)(v) of UERC Tariff Regulations, 2018, the Capital Investment Plan submitted by the Distribution Licensee should be in conformity with the perspective plan made by the STU. In this regard, UPCL should confirm that the Capital Investment Plan submitted is in conformity with the perspective plan made by the STU.**

Reply:

It is submitted that the planning of distribution works is undertaken considering various aspects like load growth, system improvement, etc. and required up-gradation or addition at the transmission end is communicated from time to time to STU for necessary action.

5. **UPCL has not mentioned the existing and projected Wires Availability as well as Supply Availability for the Control Period as required under Regulation 9(1)(C) of UERC Tariff Regulations, 2018. UPCL should give details of the same.**

Reply:

During FY 2017-18, the wires availability was 99.63% and with respect to supply the shortfall was less than 0.5%.For the Control Period, the Petitioner proposes wires availability of 99.75%, 99.78% and 99.80% for FY 2019-20, FY 2020-21 and FY 2021-22, respectively. Further, the Petitioner shall ensure 100% supply availability to its consumers during the 3rd Control Period.

6. **As per Regulation 8(1)(c)(v) and Regulation 71 of UERC Tariff Regulations, 2018, UPCL has submitted financing plan for each scheme proposed. However, UPCL has not submitted any supporting documents including commitment of State Government for equity contribution, if any, and Lender's Commitment, cost/benefit analysis, alternatives considered etc. UPCL should submit the same.**

   Reply:

   It is submitted that the financing plan proposed for the Control Period (other than Central schemes) is tentative. UPCL each year based on the capital expenditure planning, approaches the Government and funding agencies like REC, PFC, etc. for equity and loan requirements.

7. **It is observed from the SAUBHAGYA portal that Uttarakhand has achieved 100% electrification; however, UPCL in its Business Plan has projected to achieve 100% electrification by December 2018. In this regard, UPCL should submit the present status of actual number of un-electrified households.**

   Reply:

   It is submitted that all willing consumers have been electrified on priority. Electrification of villages/ hamlets has been completed on priority to electrify all willing households covered under Saubhagaya. However, other activities covered under DDUGJY such as system strengthening works/ feeder segregation, meter replacements, etc. are under progress.

8. **In accordance with Regulation 73(2)(c) of UERC Tariff Regulations, 2018, UPCL is required to submit the monthly estimate of the power availability to meet Base load and peak load requirement for the third control period. In this regard, UPCL should submit the same for consideration of the commission.**

   Reply:

   It is submitted that the month-wise energy balance from various sources have been provided in Table 78-80 of the MYT Petition in which month-wise shortages and surplus projected for each year of the Control Period has been provided. Further, it is submitted that energy from gas and pondage/ reservoir based hydro stations is utilized for meeting the peak requirements.

9. **As per Regulation 73 of UERC Tariff Regulations, 2018, UPCL should not plan to procure power on short-term basis subject to unavoidable/ unforeseen shortages as per conditions provided in Regulation 75 of UERC Tariff Regulations, 2018. In this regard, UPCL should provide detailed justification for projecting procurement of short-term power during the third control period.**

Reply:

It is submitted that UPCL has ensured its power procurement on long-term basis. However, variabilities associated with procurement from hydro sources (variations in water flow), variations in gas prices, etc. has led to procurement through exchange, other short-term sources. UPCL in the current year procured short-term power after in-principle approval from Hon'ble Commission due to de-allocation of unallocated share from CGS during Jul-Sep 2018 and due to hike in gas prices during Aug 18 - Jun 19.

For the 3rd Control Period, the Petitioner has conducted a detailed analysis of the power procurement situation in the State. It is observed that the shortfall in power availability has arisen in the 3rd Control Period due to following reasons:

i. Non-availability of Beta gas station, status of commissioning is still uncertain
ii. Shut-down of Unchahar-IV substation and no update on re-commissioning of the same
iii. Lower availability of power from UJVNL which has estimated lower generation on account of RMU works proposed for its major stations.

It is submitted that while the Petitioner had adequate allocation to meet its requirement, due to uncertainty with regard to few generating stations and RMU of UJVNL stations has resulted in a demand-supply gap for which the Petitioner may be required to procure on short-term basis.

Preliminary information required for further analysis of Petition

1. **UPCL in Para 5.40 has submitted that inter-state transmission losses for FY 2018-19 has been considered based on the actual losses for FY 2017-18. However, it is observed that for FY 2017-18, actual losses for all the generating station has been considered at 4.0%. Whereas, for FY 2018-19, it is different for all the generating stations. In this regard, UPCL should submit station wise actual losses for FY 2017-18.**

Reply:

The station-wise inter-state transmission losses for FY 2017-18 have been attached in soft copy in **Annexure-1**

2. **As regards power purchase proposed from upcoming stations, UPCL should submit whether it has entered into any agreement or signed any MoU for power procurement from these stations along with a copy of such agreement/MoU.**

Reply:

The copy of MoU/ agreement are provided in soft copy in **Annexure-1**

3. **UPCL, at para 321 of the Petition has mentioned that the impact of addition of 2,01,788 new BPL consumers under the SAUBHAGYA scheme have been added in projecting the demand from Domestic consumers for FY 2018-19. However, UPCL has not provided the details / assumptions/ norms used for its projection. In this regard, UPCL should submit the methodology adopted to projecting the demand from these 2,01,788 consumers.**

Reply:

As on 15.11.2018, the target/number of un-electrified households to be covered in the State under Saubhagya stood at 2,01,788. Since the target date of scheme completion is December 2018, the Petitioner had assumed that the all households shall be electrified in FY19.

Further, the Petitioner had analysed the consumption pattern of Lifeline consumers in the last 3 years and observed that the average per capita monthly consumption of such consumers was approx. 49 units per month. Therefore, for projecting the additional sales for this category (owing to new Saubhagya households getting connected to the grid) in FY19, the Petitioner has estimated an additional sale of 116.45 MUs over the normal increase projected for domestic consumer sales in FY 2018-19. Subsequently for the 3rd Control Period, projections of sales have been increased considering the CAGR of 8.8% per year.

4. **UPCL has proposed recruitment of 600, 537 & 01 no. of employees during FY 2019-20, FY 2020-21 & FY 2021-22 respectively. UPCL should submit the category details of employees proposed to be recruited**

along with its preparedness & approval from GOU with regard to the same.

Reply:

The details with respect to recruitment in process are as below:

(a)	RECRUITMENT IN PROCESS (FY 2019-2020)			
S. No.	Group	Post	Pay Scale	No. of Posts
1	B	ASSISTANT ENGINEER (E&M)	15600-39100(Grade Pay-5400)	25+47
2	B	ASSISTANT ENGINEER (CIVIL)	15600-39100(Grade Pay-5400)	7
3	B	ACCOUNTS OFFICER	15600-39100(Grade Pay-5400)	4+11
4	B	LAW OFFICER	15600-39100(Grade Pay-5400)	2
5	B	PERSONNEL OFFICER	15600-39100(Grade Pay-5400)	8
6	B	Sr. INDUSTRIAL ENGINEER	15600-39100(Grade Pay-6600)	1
		TOTAL		**38+67= 105**

(b)	Through Uttarakhand Pravidhik Shiksha Parishad			
Group	Post	No. of Vacancies	Current Status	Remark
C	Technician Grade-2 (Electrical)	496	Advertisement has been released on 8.12.2013 by Uttarakhand Pravidhik Shiksha Parishad.	• The recruitment for the post of TG-2 has been stopped by Govt. vide letter No. 31/2014 dated 26-08-2014. • Presently, the matter is pending before Hon'ble High Court, Nainital.
	TOTAL	**496**		

PREPAREDNESS & APPROVAL

- The recruitment process for 67 vacancies for the post of Accounts Officer (11), Law Officer (02), Assistant Engineer (E&M) (47) and Assistant Engineer (Civil) (07) has been cancelled vide Govt. letter no. 1537/1(2)/2017-06(2)-14/2016 dated 13-12-2017.
- Through Corporation letter no.31 Dir (HR) /UPCL/ KF dated 04-01-2018 and letter no.600 Dir (HR) /UPCL/ KF-2 dated 26-02-2018 letters have been sent to the Govt. of Uttarakhand for the permission to fill up the posts of direct recruitment.
- Through Office Memorandum no.922 Dir (HR) /UPCL/ KF dated 31-03-2018 a committee has been formed to submit a report to Secretary (Finance) GoU regarding AE,JE and other posts of direct recruitment.
- Through Corporation letter no.2839- Dir (HR) /UPCL dated 28-08-2018, desired report has been sent to GoU regarding AE,JE and other posts of direct recruitment.
- Through Corporation letter no.11828- Dir (HR) /UPCL/ KF-2 dated 12-10-2017 & letter no.12700- Dir (HR) /UPCL/ KF-2 dated 10-11-2017 letters have been sent to the GOU for the permission to fill up the posts of direct recruitment.

The copies of above correspondence are enclosed at **Annexure-2**.

Further, it is submitted that recruitment of 537 posts for FY 2020-21 and FY 2021-22 will be considered in future against retirement.

5. **UPCL in its Business Plan has proposed to complete SAUBHAGYA scheme by December, 2018, however, the capex of Rs. 64.63 Crore is proposed for FY 2019-20 also (Table 32). Reasons for the same may be provided.**

Reply:

It is submitted that while the Petitioner has achieved the electrification target under the Saubhagaya scheme, only a part of the payment (to the extent released by the Central Government) has been done against the

works. Accordingly, the amount of Rs. 64.93 Cr. has been provisioned in FY 2019-20.

For and on behalf of
Uttarakhand Power Corporation Limited

(L. M. Verma)
Director (Finance)

Verification

I, Lalit Mohan Verma S/o Late Shri Sundar Lal Verma, aged about 60 years, working as Director (Finance) Uttarakhand Power Corporation Limited, VCV Gabar Singh UrjaBhawan, Dehradun do hereby verify that the contents of Paras 1 to 9 (regarding preliminary information required for admission of Petition) and paras 1 – 5 (regarding Preliminary information required for further analysis of Petition) are derived from official records, which are true to my personal knowledge and that I have not suppressed any material fact.

(L. M. Verma)
Director (Finance)
Uttarakhand Power Corporation Limited

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK85277116994445Q
Certificate Issued Date	:	29-Sep-2018 10:26 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1204904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120490472017895932235Q
Purchased by	:	U P C L
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	U P C L
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	U P C L
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND Km. URMILA BHATIA Advocate Reg. No. 09/01/02 Dehradun NOTARIAL NOTARIAL

File No. ....

Case No. ....

BEFORE UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

In the matter of: APPLICATION SEEKING APPROVAL OF BUSINESS PLAN OF THE PETITIONER COMPANY FOR THE CONTROL PERIOD OF THREE FINANCIAL YEARS FROM FY 2019-20 TO FY 2021-22.

Uttarakhand Power Corporation Limited.

Petitioner.....

AFFIDAVIT VERIFYING THE PETITION

ROHIT KUMAR Stamp Vendor Court Compound, Dehra Dun

I, Lalit Mohan Verma, S/o Shri Late Shri Sundar Lal Verma, aged about 60 years, working as Director (Finance) – Uttarakhand Power Corporation Limited, VCV Gabar Singh Bhawan, Dehradun, the deponent named above do hereby affirm and state on oath as under:

Please write or type below this line

1. That the deponent is the Director (Finance) of Uttarakhand Power Corporation Limited who is authorized as per resolution of the company and is acquainted with the facts deposed to below.
2. I, the deponent named above do hereby verify that the contents of the paragraph No.-1 of the affidavit and those of the paragraph No. 1 to 9 (regarding preliminary information required for admission of Petition) and paragraph No. 1 – 5 (regarding Preliminary information required for further analysis of Petition) of the accompanying petition are based on the perusal of records which I believe to be true and verify that no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

NOTARY Km. URMILA BHATIA Advocate Reg.No.-09/01/02 Dehradun. STATE OF UTTARAKHAND

Deponent

(L.M. Verma)

Director (Finance)

Uttarakhand Power Corporation Limited

9

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

I, ANIL PRASAD RANAKOTI ...., Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit is known to me through the perusal of records and I am satisfied that he is the same person alleging to be deponent himself.

(...........................)
Advocate
UA-R.N.- 5154/04

Solemnly affirmed before me on this ......13... day of December, 2018 by the deponent who has been identified by the aforesaid advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understood the contents of the affidavit which has been read over and explained to him. He has also been explained about section 193 of Indian Penal Code that whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Commission or fabricates evidence for purpose of being used in any of the proceedings shall be liable for punishment as per law.

(Notary Public)

NOTARY
KM. URMILA BHATIA
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehradun.
STATE OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri....Lalit Mohan Anil Prasad Ranakoti
who is identified by .... DdV.
at Dehradun on........13/12/18
KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

Annexure - 2

संख्या – 1537 / 1(2) / 2017–06(2)–14 / 2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषय :– लेखाधिकारी, विधि अधिकारी, सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं यांत्रिक एवं सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जानपद के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3966 / निदे0(मा0 सं0) / उपाकालि / कैम्प दिनांक 18.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सन्दर्भगत पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा लेखाधिकारी, विधि अधिकारी, सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) विद्युत एवं यांत्रिक एवं सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जानपद के रिक्त पदों क्रमशः 11,02,47 को M/s ABC Assessment के माध्यम से सीधी भर्ती कराये जाने का निर्णय आपके स्तर से लिया गया था।

3. उपरोक्त संस्था के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी भर्ती परीक्षा में अनियमित्तायें परिलक्षित होने के कारण ऊर्जा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–574 / 1(2) / 2016–06(2)–14 / 2016 दिनांक 26.04.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–868 / 1(2) / 2016–06(2)–14 / 2016 दिनांक 19.07.2016 के द्वारा तत्कालीन अपर सचिव, ऊर्जा को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

4. तत्कालीन अपर सचिव / जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट / निष्कर्ष के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भविष्य में भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव।

11

Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road,
Dehradun - 248001
Phone : 0135-2763901 FAX: 0135-2769771
CIN : U40109UR2001SGC025867
Website : www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135-2763901, फैक्स 0135-2769771

पत्रांक:– 31 –निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0 दिनांक : 05/01/2018

सचिव (ऊर्जा),
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषयः एई0, एओ0, एल0ओ0 की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1537/1(2)/2017/06(2)–14/2016 दिनांक 13.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से विज्ञप्ति सं0–UPCL/2015-16/Rectt-01 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि0एवंयाँ0),सहायक अभियन्ता (जानपद), लेखाधिकारी एवं विधि अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

महोदया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश के प्रभाव से उपरोक्त वर्णित पद निम्न प्रकार से रिक्त हो गये हैं :–

क्रम संख्या	पदनाम (सीधी भर्ती)	कुलपद
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयाँ0)	47
2	सहायक अभियन्ता (जानपद)	07
3	लेखाधिकारी	11
4	विधि अधिकारी	02
	कुल योग	67

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 801/I(2)/2016–06 (2)–08/2002 दिनांक 23 जून, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही भी की जानी है :–

क्रम संख्या	पदनाम (सीधी भर्ती)	कुलपद
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयाँ0)	25
2	लेखाधिकारी	04
3	कार्मिक अधिकारी	08
4	औद्योगिक अभियन्ता	01
	कुल योग	38

क्रमशः...............2

12

जिसके उपरान्त वर्तमान में कुल रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है :–

कम संख्या	पदनाम (सीधी भर्ती)	कुलपद
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयाँ0)	72
2	सहायक अभियन्ता (जानपद)	07
3	लेखाधिकारी	15
4	विधि अधिकारी	02
5	कार्मिक अधिकारी	08
6	औद्योगिक अभियन्ता	01
	कुल योग	105

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन द्वारा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाये रखने हेतु कारपोरेशन के गठन के उपरान्त कई नए विद्युत उपसंस्थानों/उपखण्डों/खण्डों/मण्डलों एवं क्षेत्रों का गठन किया गया है परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाये रखने एवं विद्युत उपकेन्द्रों के सुचारू परिचालन तथा सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महोदया से सादर अनुरोध है कि कारपोरेशन में सीधी भर्ती के 105 (एक सौ पाँच) पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(वी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः– 800 –निदेशक (मा०सं०)/के०एफ० दिनांकः 26/02/2018

उपसचिव (ऊर्जा),
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषयः ए०ई०, ए०ओ०, एल०ओ० की सीधी भर्ती पर नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 178/I(2)/2018–06(2)–14/2016 दिनांक 08–02–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा ए०ई०, ए०ओ०, एल०ओ० की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं पर सूचना शासन को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था।

उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं की सूचना बिन्दुवार कराई जा रही है जो कि निम्नवत् हैः–

1. उक्त विभिन्न संवर्गों के पदों हेतु क्या सेवा नियमावली का गठन किया गया है अथवा नहीं?

कारपोरेशन में विभिन्न संवर्गों के पदों हेतु पूर्ववर्ती Uttar Pradesh State Electricity Board द्वारा जारी नियमावली (यथासंशोधित) लागू है। जो कि निम्नवत् हैं :–

कम सं०	पदनाम	सेवा नियमावली
1	सहायक अभियन्ता (वि०एवंयाँ०)	THE UTTAR PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD SERVICES OF ENGINEERS REGULATIONS, (1970).
2	सहायक अभियन्ता (जानपद)	
3	लेखाधिकारी	THE UTTAR PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD ACCOUNT (OFFICERS) SERVICE REGULATIONS (1984).
4	कार्मिक अधिकारी	THE UTTAR PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD PERSONNEL (OFFICERS) SERVICE REGULATIONS (1995).

विधि अधिकारी एवं वरि० औद्योगिक अभियन्ता पद हेतु अध्यक्ष/निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति कार्यवाही की जाती है।

2. कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1597 दिनांक 25.11.2002 में उल्लेख किया गया है कि सेवा संवर्गों की सेवा नियमावलियों के सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार पदों पर चयन सम्बन्धित एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। क्या निगम द्वारा इसका अनुपालन पूर्व में सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं?

विभिन्न सेवा संवर्गों के पदों हेतु प्रचलित पूर्ववर्ती उ०प्र०रा०वि०प० सेवा नियमावलियों एवं निदेशक मण्डल के दिशा–निर्देश/अनुमोदनोपरान्त ही संस्था का चयन किया जाता रहा है।

3. सहायक अभियन्ता का पद समूह–ख की श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है क्या इस पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर कार्यवाही की जा सकती है?

समूह–ख की श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित सहायक अभियन्ता के पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना समीचीन होगा।

क्रमशः.....2

14

4. विभिन्न संवर्गो के उपलब्ध कराये गये पदों के सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में वेतनमान क्या होंगे?

विभिन्न संवर्गों के पदों हेतु सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में वेतनमान निम्न् प्रकार से होंगे:–

क्र0 सं0	पदनाम (सीधी भर्ती)	6वें वेतनमान	7वें वेतनमान
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयॉ0)	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-5400)	Basic Pay- 56100
2	सहायक अभियन्ता (जानपद)	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-5400)	Basic Pay- 56100
3	लेखाधिकारी	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-5400)	Basic Pay- 56100
4	विधि अधिकारी	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-5400)	Basic Pay- 56100
5	कार्मिक अधिकारी	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-5400)	Basic Pay- 56100
6	वरि0 औद्योगिक अभियन्ता	Pay Scale 15600-39100 (Grade Pay-6600)	Basic Pay- 67700

5. क्या इससे पूर्व निगम द्वारा ऐसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया किस नियमावली के तहत की गयी उसका समस्त विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निगम में प्रचलित पूववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 सेवा नियमावलियों एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त ही बिन्दु सं0–1 में उद्धरित पदों की भर्ती प्रकिया सम्पन्न होती है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कारपोरेशन पत्र संख्या 31–निदेशक(मा0सं0)/उपाकालि/के0एफ0 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा कारपोरेशन में सीधी भर्ती के कुल 105 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:–

कम संख्या	पदनाम (सीधी भर्ती)	कुलपद
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयॉ0)	72
2	सहायक अभियन्ता (जानपद)	07
3	लेखाधिकारी	15
4	विधि अधिकारी	02
5	कार्मिक अधिकारी	08
6	औद्योगिक अभियन्ता	01
	कुल योग	105

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन में सीधी भर्ती के उक्त 105 (एक सौ पॉच) पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु शासन से अनुमति प्रदान करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2763901 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः– 922 –निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0 दिनांक :31/03/2018

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 15.03.2018 को शासन में सचिव वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव वित्त महोदय द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृती प्रदान करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या चाही गयी है। जिस हेतु सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं सीधी भर्ती के अन्य पदों के सम्बन्ध में आख्या प्रबन्धन के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु एतद्द्वारा निम्न समिति का गठन किया जाता है :–

1. श्री एच0 के0 गुरूरानी, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1), उपाकालि – अध्यक्ष।
2. श्री के0 बी0 चौबे, महाप्रबन्धक (मा0सं0) (प्रभारी), उपाकालि – सदस्य।
3. श्री अमित कुमार कन्सल, उपनिदेशक (आ0सं0), उपाकालि – सदस्य।
4. श्री मुनीर आलम, अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि – सदस्य।
5. श्री सुधीर कुमार, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) प्र0नि0, उपाकालि – सदस्य।
6. श्री जितेन्द्र सिंह, वरि0 कार्मिक अधिकारी (औ0स0), उपाकालि – संयोजक।

उक्त समिति सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अन्य पदों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेगी :–

1. सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता आदि पद कारपोरेशन में किस–किस कार्यालय हेतु सृजित एवं स्वीकृत हैं।
2. उक्त पदों के विस्तृत कार्य दायित्वों का विवरण।
3. वर्तमान में उक्त पदों के रिक्त होने की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा कार्य किस तरह से चल रहा है।
4. उक्त पदों पर नियमित कार्मिकों की क्यों आवश्यकता है।
5. कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति।
6. उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने पर क्या व्ययभार आयेगा, उसको कारपोरेशन द्वारा किस तरह से वहन किया जायेगा।
7. क्या उक्त पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जा सकता है।
8. नियमित कार्मिक रखने से क्या कारपोरेशन के कार्यों/वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा।
9. उक्त पदों के सृजन के क्या मानक हैं।
10. विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों/उपखण्डों में उपभोक्ताओं की संख्या, राजस्व वसूली एवं व्यय का विवरण।
11. क्षेत्रीय कार्यालयों में कितने उपभोक्ताओं पर ए0ई0/जे0ई0 तैनात किये जाते हैं।
12. ए0ई0/जे0ई0 के अधिकार क्षेत्र में कितने फीडर/कितनी लम्बी विद्युत लाईन आदि होती हैं।

क्रमशः.........................(2)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135-2769771

13. ए०ई० / जे०ई० के पद पर नियुक्ति होने के उपरान्त AT&C Losses में कितना सुधार आयेगा तथा इससे कारपोरेशन को कितनी वित्तीय लाभ होगा।
14. ए०ई० / जे०ई० के पद पर नियुक्ति होने के उपरान्त राजस्व वसूली आदि में क्या लाभ होगा।
15. अन्य राज्यों के विद्युत वितरण निगमों विशेषतः हिमाचल प्रदेश में ए०ई० / जे०ई० एवं अन्य सीधी भर्ती के पदों के सृजन हेतु क्या मानक है। उक्त पदों पर भर्ती नियमित या आउटसोर्स के माध्यम से की जाती है।

उक्त समिति अपनी विस्तृत आख्या निदेशक (मा०सं०) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध करायेगी ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 922 –निदेशक (मा०सं०) / के०एफ० तदि्दनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना / परिचालन / वित्त), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. श्री एच० सी० गुरूरानी, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) कुमाऊ क्षेत्र, उपाकालि एंव सदस्य, हल्द्वानी।
4. श्री के० बी० चौबे, महाप्रबन्धक (मा०सं०) (प्रभारी), उपाकालि एंव सदस्य, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. श्री अमित कुमार कन्सल, उपनिदेशक (आ०सं०), उपाकालि एंव सदस्य, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. श्री मुनीर आलम, अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), उपाकालि एंव सदस्य, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. श्री सुधीर कुमार, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्व) प्र०नि०, उपाकालि एंव सदस्य, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. श्री जितेन्द्र सिंह, वरि० कार्मिक अधिकारी (औ०स०), उपाकालि एवं संयोजक, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(पी०सी० ध्यानी) 31/3/18
निदेशक(मा०सं०)

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2763901 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक २४३१ /निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक: २८-08-2018

विषयः– सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति करने हेतु शासन से अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सचिव (ऊर्जा),
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 604/(2)/2018/06(2)–16/2017 दिनांक 03.04.2018 के तारतम्य में शासन के पत्रांक 1482/(2)/2018/06(2)–16/2017 दिनांक 23.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सूच्य है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25.09.2017 के बिन्दु संख्या 05 पर दिए गए निर्देश के अनुपालन में कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, के सम्बन्ध में नियुक्ति की करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने हेतु किए गए अनुरोध के तारतम्य में प्रकरण में विचार–विमर्श हेतु दिनांक 15.03.2018 को सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहुत की गयी थी।

अवगत कराना है कि उक्त बैठक एवं शासन द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिए गए निर्देश के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 922–निदेशक(मा0सं0)/के0एफ0 दिनांक 31.03.2018 एवं ज्ञाप संख्या 1108–निदेशक(मा0सं0)/के0एफ0 दिनांक 20.04.2018 द्वारा समिति का गठन किया गया।

इस सम्बन्ध में पुनः संज्ञान में लाना है कि राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने हेतु कारपोरेशन के गठन के उपरान्त कई नए विद्युत उपसंस्थानों/उपखण्डों/ खण्डों/मण्डलों एवं क्षेत्रों का गठन किया गया है परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने एवं विद्युत उपकेन्द्रों के सुचारू परिचालन तथा सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा कारपोरेशन में मानव शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण विद्युत व्यवस्था के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः इस समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, संलग्नकों सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25.09.2017 के बिन्दु संख्या 05 पर दिए गए निर्देश के अनुपालन में कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, के सम्बन्ध में कारपोरेशन हित में नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

18

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeyta Gabar Singh Urja Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
काँवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक : 11828 –निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / के0एफ0–2 . दिनांक 12/10/2017

विषयः– सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सचिव (ऊर्जा),
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

महोदया,

कृपया ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एंव भत्ते की स्वीकृति प्रदान किए जाने विषयक शासनादेश संख्या 1199 / I(2) / 2017–05–34 / 2016 दिनांक 25.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके बिन्दु संख्या 05 में इंगित किया गया है कि :–

"ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती / चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजनाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती / चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती / चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाय। भविष्य में निगम के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।"

इस सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड अधीनरथ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 833 / दिनांक 04.10.2017 प्राप्त हुए, जिसमे उनके द्वारा कारपोरेशन द्वारा आयोग को पूर्व में प्रेषित सीधी भर्ती के पदों यथा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0), अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद), सहायक लेखाकार एवं मानचित्रक / प्रारूपकार के कुल 225 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रेषित अधियाचन के सम्बन्ध में नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती के निम्न पदों पर अधीनरथ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान हैं :–

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से :–

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	160	➢ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की तिथि दिनांक 05.11.2017 निर्धारित की गयी है।
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद)	06	
सहायक लेखाकार	40	➢ कारपोरेशन द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शीघ्र लिखित परीक्षा आयोजित कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
मानचित्रक / प्रारूपकार	19	➢ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 25.06.2017 को सम्पन्न।
योग	225	

उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती के विभिन्न पदों पर भी विभिन्न माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान एवं की जानी हैं :–

क्रमशः– 02

बाह्य संस्था के माध्यम से :-

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
लेखाधिकारी	11	➢ लिखित परीक्षा दिनांक 24.4.2016 को सम्पन्न। ➢ लिखित परीक्षा का परीक्षाफल प्राप्त। ➢ शासन से लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित एवं साक्षात्कार की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु शासन को कारपोरेशन पत्रांक 3966-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ कैम्प दिनांक 18.04.2017, 6305-निदे0(मा0सं0)/ उपाकलि/ के0एफ0-22 दिनांक 05.06.2017 एवं पत्रांक 10402-निदे0(मा0सं0)/उपाकलि/के0एफ0-22 दिनांक 06.09.2017 के माध्यम से अनुरोध किया गया है।
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	47	
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद)	07	
विधि अधिकारी	02	
योग	67	

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से :-

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
कार्यालय सहायक	77	➢ लिखित परीक्षा दिनांक 20.09.2015 को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परीषद से सम्पन्न। ➢ परिषद द्वारा परीक्षा आयोजन उपरान्त 67 चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गयी। ➢ माननीय श्रम न्यायालय, हल्द्वानी में कारपोरेशन का पक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही पूर्ण, आदेश प्रतिक्षित। ➢ वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल/माननीय श्रम न्यायाधिकरण में वाद लम्बित।
टी0जी0-2 (विद्युत)	496	➢ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 08.12.2013 को विज्ञप्ति निर्गत। ➢ शासन के पत्रांक 31/2014, दिनांक 28.08.2014 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में नियुक्ति की कार्यवाही स्थगित। ➢ माननीय श्रम न्यायाधिकरण में वाद लम्बित।
योग	593	

यह भी अवगत कराना है कि शासनदेश संख्या 801/I(2)/2016-06(2)-08/2002 दिनांक 23 जून, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है :-

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	25
लेखाधिकारी	04
कार्मिक अधिकारी	08
औद्योगिक अभियन्ता	01
योग	38

20

इस सम्बन्ध में जैसा कि महोदया अवगत हैं कि राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने हेतु कारपोरेशन के गठन के उपरान्त कई नए विद्युत उपसंस्थानों/उपखण्डों/खण्डों/मण्डलों एवं क्षेत्रों का गठन किया गया है परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने एवं विद्युत उपकेन्द्रों के सुचारू परिचालन तथा सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या 801/I(2)/2016-06(2)-08/2002 दिनांक 23 जून, 2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

साथ ही उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा कारपोरेशन में मानव शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण विद्युत व्यवस्था के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महोदया से सादर अनुरोध है कि कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, के सम्बन्ध में नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को 24X7 घण्टे गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(बी०सी०के० मिश्रा)
MD/प्रबन्ध निदेशक

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeyta Gabar Singh Urja Bhawan,
Kanwali Road, Dehradun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन,
काँवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक :12707-निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/के0एफ0–2 दिनांक 10/11/2017

विषयः– सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सचिव (ऊर्जा),
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन पत्रांक 11828–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/के0एफ0–2 दिनांक 12.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एंव भत्ते की स्वीकृति प्रदान किए जाने विषयक शासनादेश संख्या 1199/ I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25.09.2017 के बिन्दु संख्या 05 पर दिए गए निर्देश के अनुपालन में कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों, जन पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, के सम्बन्ध में नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में महोदया के संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती के निम्न पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान हैं :–

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से :–

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	160	➢ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 05.11.2017 को सम्पन्न।
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद)	06	
सहायक लेखाकार	40	➢ कारपोरेशन द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शीघ्र लिखित परीक्षा आयोजित कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
मानचित्रक/प्रारूपकार	19	➢ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 25.06.2017 को सम्पन्न।
योग	225	

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती के विभिन्न निम्न पदों पर भी विभिन्न माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान एवं की जानी हैं :–

बाह्य संस्था के माध्यम से :–

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
लेखाधिकारी	11	➢ लिखित परीक्षा दिनांक 24.4.2016 को सम्पन्न। ➢ लिखित परीक्षा का परीक्षाफल प्राप्त। ➢ शासन से लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित एवं साक्षात्कार की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु शासन को कारपोरेशन पत्रांक 3966–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/कैम्प दिनांक 18.04.2017, 6305–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 05.06.2017, पत्रांक 10402–निदे0 (मा0सं0)/उपाकालि/दिनांक 06.09.2017 एवं पत्रांक 12419–निदे0(मा0सं0) दि0 02.11.2017 के माध्यम से अनुरोध किया गया है।
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	47	
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद)	07	
विधि अधिकारी	02	
योग	67	

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से :–

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद	अद्यतन स्थिति
कार्यालय सहायक	77	➢ लिखित परीक्षा दिनांक 20.09.2015 को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परीषद से सम्पन्न। ➢ परिषद द्वारा परीक्षा आयोजन उपरान्त 67 चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गयी। ➢ माननीय श्रम न्यायालय, हल्द्वानी में कारपोरेशन का पक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही पूर्ण, आदेश निर्गत। ➢ वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद लम्बित।
टी0जी0–2 (विद्युत)	496	➢ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 08.12.2013 को विज्ञप्ति निर्गत। ➢ शासन के पत्रांक 31/2014, दिनांक 28.08.2014 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में नियुक्ति की कार्यवाही स्थगित। ➢ माननीय श्रम न्यायाधिकरण में वाद लम्बित।
योग	593	

यह भी अवगत कराना है कि शासनदेश संख्या 801/I(2)/2016–06(2)–08/2002 दिनांक 23 जून, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है :–

पदनाम (सीधी भर्ती)	कुल पद
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं या0)	25
लेखाधिकारी	04
कार्मिक अधिकारी	08
ऑद्योगिक अभियन्ता	01
योग	38

इस सम्बन्ध में जैसा कि महोदया अवगत हैं कि राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने हेतु कारपोरेशन के गठन के उपरान्त कई नए विद्युत उपसंस्थानों/उपखण्डों/खण्डों/मण्डलों एवं क्षेत्रों का गठन किया गया है परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण विद्युत व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू बनाये रखने एवं विद्युत उपकेन्द्रों के सुचारू परिचालन तथा सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या 801/I(2)/2016–06(2)–08/2002 दिनांक 23 जून, 2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा कारपोरेशन में मानव शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण विद्युत व्यवस्था के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महोदया से पुनः सादर अनुरोध है कि कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है, के सम्बन्ध में नियुक्ति करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

23

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक